बाल विवाह पर बाल विवाह निषेध

पदाधिकारी स्तर सवाल-जवाब

बाल विवाह पर बाल विवाह निषेध पदाधिकारी स्तर सवाल-जवाब

- **संरक्षक**

गुरजोत कौर
अतिरिक्त मुख्य सचिव (प्रशिक्षण)
एवं महानिदेशक
हरिश्चन्द्र माथुर राजस्थान राज्य
लोकप्रशासन संस्थान
जयपुर

- **मार्गदर्शन**

राजेश यादव
सिनियर फैलो
बाल संदर्भ केन्द्र
एचसीएम रीपा, जयपुर

- **परामर्श**

संजय कुमार निराला
युनिसेफ, जयपुर

गोविन्द बेनीवाल
अन्ताक्षरी फाउण्डेशन,
जयपुर

- **संयोजन**

लविना राठौड़

- **डिजाइनर**

मधुप शर्मा

- **लेखक**

पंकज तिवारी

- **प्रायोजक**

युनिसेफ, जयपुर

- **आयोजन एवं प्रकाशन**

बाल संदर्भ केन्द्र
एचसीएम रीपा, जयपुर

गुरजोत कौर
आई.ए.एस.
अतिरिक्त मुख्य सचिव (प्रशिक्षण)
महानिदेशक
ह.च.मा. राजस्थान राज्य लोक
प्रशासन संस्थान

सत्यमेव जयते

जवाहर लाल नेहरू मार्ग,
जयपुर–302 017
फोन : +91-141-2706556
फैक्स : +91-141-2705420
: +91-141-2702932

प्रस्तावना

बाल विवाह को अक्सर अतीत की बात समझा जाता है। लेकिन यह स्पष्ट है कि यह अभी भी भारत में प्रचलित है। इससे बच्चे के बचपन में कई तरह से विघटन होता है जैसे कि परिवार और मित्रों से अलगाव, समुदाय और साथियों के साथ बच्चे की सीमित बातचीत, शिक्षा के अवसरों की कमी आदि।

बाल विवाह के परिणाम स्वरूप बालिकाओं को अक्सर बंधुआ, श्रम, दासता, व्यवसायिक यौन शोषण और हिंसा की स्थिति का सामना करना पड़ता है। बाल वधुएँ अक्सर गंभीर स्वास्थ्य, प्रारंभिक गर्भावस्था और विभिन्न एस.टी.डी. विशेषकर एच.आई.वी./एड्स से ग्रसित हो जाती हैं। दूसरी ओर बालकों पर परिवार की जिम्मेदारी का बोझ बढ़ जाता है। अतः उन्हें स्कूल छोड़ने के लिए मजबूर किया जाता है। ऐसे कई कारण हैं जिनसे माता पिता बाल विवाह के लिए सहमत हो जाते है जैसे कि आर्थिक आवश्यकताएं या पारंपरिक मूल्य और मापदंड इत्यादि।

हाल ही में राजस्थान बाल अधिकारिता विभाग, राजस्थान सरकार एवं हरिशचन्द्र माथुर राजस्थान राज्य लोक प्रशासन संस्थान (एच.सी.एम. रीपा) द्वारा युनिसेफ की सहायता से राज्य में मौजूदा बाल संरचनाओं को मजबूत करने के लिए बाल संदर्भ केन्द्र (सी.आर.सी.) की स्थापना की गई है। इस केन्द्र को अन्ताक्षरी फांउन्डेशन द्वारा तकनीकी सहायता उपलब्ध करावाई जा रही है। यह केन्द्र बाल अधिकारों सम्बन्धित मुददों पर क्षमतावर्धन एवं प्रलेखन के लिए सक्रियता से कार्यरत है।

बाल विवाह, इसका अर्थ, कारण और परिणाम पर व्यापक और सम्पूर्ण जानकारी देने हेतु यह सवाल–जवाब (FAQs) विशेषज्ञ समूह द्वारा डिजाईन किया गया है। यह सवाल–जवाब (FAQs) बालविवाह निषेध अधिनियम, 2006 के प्रावधानों की समझ विकसित करने के लिए बनाये गये हैं।

आशा है कि यह सवाल–जवाब (FAQs) विभिन्न हितधारकों को उनके कार्य नियोजित करने में सहायता प्रदान करेंगे।

शुभकामनाओं सहित

गुरजोत कौर

बाल विवाह पर बाल विवाह निषेध पदाधिकारी स्तर पर सवाल-जवाब

1. बाल विवाह से क्या तात्पर्य है ?

बाल विवाह रोकथाम अधिनियम, 2006 की धारा 2 (a) के तहत्, बाल विवाह एक प्रकार का विवाह है जिसमें किसी एक तरफ से विवाह करने वाला व्यक्ति बच्चा है।

2. बाल विवाह अधिनियम में बच्चा किसे कहा गया हैं ?

बाल विवाह रोकथाम अधिनियम, 2006 की धारा 2 (a) के तहत 18 वर्ष से कम आयु की लड़की तथा 21 वर्ष से कम आयु के लड़के को बच्चे के रूप में परिभाषित किया गया है। इसका अर्थ है कि लड़कियों के लिए विवाह की न्यूनतम आयु 18 वर्ष तथा लड़के के लिए 21 वर्ष है। यहाँ यह उल्लेख करना प्रासंगिक होगा कि बाल विवाह निशेध अधिनियम, 2006 में केवल विवाह की कानूनी आयु तय की गई है। इसमें किसी भी प्रकार से बच्चे के आयु वर्ग को परिभाषित नहीं किया गया है।

3. बच्चा किसे कहते हैं ?

संयुक्त राष्ट्र बाल अधिकार समझौता–1989 में कहा गया है कि "बच्चे का अर्थ हर उस मनुष्य से है जिसने अब तक 18 वर्ष की आयु पूर्ण नहीं की है, जब तक की बाल्यावस्था की आयु सीमा निर्धारण हेतु कोई नया कानून लागू न हो। यद्यपि भारतीय बहुमत अधिनियम के अन्तर्गत बहुमत द्वारा निर्णय कर बाल्यावस्था की आयु 18 वर्ष तय की गई है। अतः 18 वर्ष के कम आयु के व्यक्ति को बच्चा कहा जाता है। बच्चों की आयु आधारित परिभाषा की पुष्टि किशोर न्याय (देखभाल तथा संरक्षण) अधिनियम 2015 के अन्तर्गत की गई है जिसमें कहा गया है कि किशोर या बच्चा वह है जिसने 18 वर्ष की आयु पूर्ण नहीं की है।

3. बाल विवाह के क्या कारण हैं ?

शिक्षा एवं जागरूकता की कमी का परिणाम बाल विवाह है। समाज में बाल विवाह आयोजन की पुरानी पारम्परिक प्रक्रिया, कानून का खराब क्रियान्वयन तथा प्रशासन के ओर से इच्छाशक्ति तथा कार्यों की कमी के साथ–साथ पूरे देश में बाल विवाह की निरन्तरता का मुख्य कारण है। कुछ महत्वपूर्ण कारण निम्नलिखित हैः–

- लड़कियों को पराया धन समझना, तथा माता–पिता द्वारा लड़कियों की शिक्षा तथा विकास के प्रति उदासिनता का रवैया अपनाकर उसका विवाह जल्दी कर देना।
- सामान्यतः लड़कियों को परिवार में बोझ समझा जाता है तथा परम्परागत तौर पर समुदाय का यह रवैया होता है कि लड़कियों की शादी जल्दी से जल्दी करा दी जाए।
- लड़कियों के प्रति यौन हिंसा की आशंका से बचाव तथा माता–पिता एवं समाज द्वारा लड़कियों को सुरक्षा उपलब्ध कराने में असमर्थ होना भी बाल विवाह के लिए कारण बताया जाता है। समुदाय में ऐसा विश्वास है कि जल्दी विवाह करने से लड़कियों की शुद्धता तथा इज्जत सुरक्षित रहती है।
- माता–पिता द्वारा यह पक्ष रखा जाता है कि कम उम्र में लड़कियों की शादी करने से दहेज कम देना पड़ेगा।

- कम आयु की दूल्हन की मांग भी परिवारों को लड़कियों के कम उम्र में विवाह हेतु प्रेरित करती है ताकि अधिक उम्र होने पर अधिक दहेज देने से बचा जा सके।
- माता–पिता यह समझते हैं कि लड़कियों का विवाह जल्दी करने से उसका भविष्य सुरक्षित रहता है।
- अन्य सांस्कृतिक प्रथाएँ, जैसे, सगे–संबंधियों के बीच विवाह, शुभ या विशेष प्रयोजनों में विवाह भी बाल विवाह को राज्य में बढ़ावा देती है।

4. यदि कोई व्यस्क व्यक्ति किसी नाबालिग बालिका से विवाह करता है तो क्या होगा ?

कोई भी 18 वर्ष से अधिक आयु का पुरूष यदि किसी नाबालिग लड़की से विवाह करता है तो उसे 2 वर्षों तक कठोर कारावास या 1 लाख रूपये जुर्माना या दोनों दण्ड दिया जा सकता है।

5. बाल विवाह पर विशेष रूप से तैयार किये गये प्रमुख कानून क्या है ?

दिनांक 01 नवम्बर 2007 को लागु किया गया बाल विवाह निषेध अधिनियम, 2006 देश में बाल विवाह से संबंधित मामलों के लिए तैयार किया गया प्रमुख कानून है।

6. बाल विवाह रोकथाम अधिनियम, 2006 की प्रमुख विशेषताएँ क्या हैं ?

- बाल विवाह आयोजन पर प्रतिबन्ध;
- बाल विवाह को अमान्य घोषित कर उसे निरस्त किया जा सकता है;
- बाल विवाह को अपराध की श्रेणी में रखकर इसमें जमानत का प्रावधान नहीं किया गया है।
- यह कानून बाल विवाह में शामिल दोनों ओर के माता–पिता के साथ–साथ दूल्हा (यदि वह 21 वर्ष से अधिक आयु का है तो), माता–पिता/अभिभावक/रिश्तेदारों, विक्रेताओं (बैन्ड पार्टी, खाना पकाने वाला, नाई, पण्डित इत्यादि) जिसने भी शादी में किसी भी प्रकार की सहायता की हो, या शादी में उपस्थित हो, उन सभी पर लागू होता है;
- बाल विवाह के आयोजन, प्रोत्साहन अथवा स्वीकृति देने पर दण्ड का प्रावधान किया गया है;
- बाल विवाह के लिए 2 वर्षों तक कारावास या 1,00,000/– रूपये या दोनों के दण्ड का प्रावधान है;
- बाल विवाह निषेध पदाधिकारी की नियुक्ति तथा उसे जवाबदेह बनाना।

7. क्या बाल विवाह रोकथाम अधिनियम सिर्फ किसी समुदाय अथवा धर्म के लिए लागू होता है ?

नहीं, बाल विवाह रोकथाम अधिनियम जम्मू तथा कश्मीर को छोड़कर देश के सभी नागरिकों पर लागू होता है। यह केन्द्र शासित प्रदेश पॉण्डीचेरी के रनोनकैन्टस पर भी लागू नहीं होता है। उनके लिए फ्रांसीसी नागरिक कानून लागू होता है क्योंकि उन्हें फ्रांसीसी नागरीक समझा जाता है।

8. जब बाल विवाह निरोधक अधिनियम था तो बाल विवाह निषेध अधिनियम, 2006 क्यो लागू किया ?

बाल विवाह निरोधक अधिनियम को शारदा अधिनियम के नाम से भी जाना जाता है जिसका गठन 1929 में किया गया था। इस अधिनियम का मुख्य लक्ष्य देश में हो रहे बाल विवाह को कम करना था, न कि इससे बचाव और न ही इसकी रोकथाम करना था। बाल विवाह के विरूद्ध कार्य करने हेतु यह अधिनियम बहुत ही बोझिल तथा समय लेने वाला था। इसमें बाल विवाह रोकथाम हेतु जिम्मेवार पदाधिकारी का जिक्र नहीं किया गया था। इन कमियों को पूरा करने के उद्देश्य से भारत सरकार ने बाल विवाह निरोधक अधिनियम के स्थान पर बाल विवाह निषेध अधिनियम, 2006 लागू किया। इस अधिनियम को भारत के राष्ट्रपति की अनुमति 10 जनवरी 2007 को प्राप्त हुई तथा 1 नवम्बर 2007 से यह अधिनियम प्रभावी हुआ।

9. बाल विवाह आयोजन रोकने के लिए क्या कदम उठाये जा सकते हैं ?

- बाल विवाह निषेध पदाधिकरी या किसी व्यक्ति/गैर सरकारी संस्था के पास बाल विवाह आयोजन की जानकारी उपलब्ध हो तो वह उस सूचना के आधार पर मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट/प्रथम श्रेणी न्यायिक दण्डाधिकारी के समक्ष शिकायत दर्ज करा सकता है। विश्वसनीय सूचनाओं के आधार पर न्यायालय भी स्वतः संज्ञान ले सकता है।
- बाल विवाह निषेध अधिनियम, 2006 की धारा 13 के तहत् न्यायालय उस बाल विवाह के आयोजन पर रोक लगा सकता है। किसी व्यक्ति के विरूद्ध आदेश निर्गत होने के बाद भी वह बाल विवाह का आयोजन करता है तो उसे 2 वर्ष तक का कारावास या 1 लाख रूपये आर्थिक दण्ड या दोनों दिया जा सकता है। यहाँ यह सूचित करना आवश्यक है कि इस मामले में किसी भी महिला को कारावास की सजा नहीं दी जा सकती है। आदेश की अवहेलना कर किया गया बाल विवाह अमान्य होगी।
- बाल विवाह रोकने के लिए जिला मजिस्ट्रेट कोई भी कदम उठा सकता है
- बाल विवाह की सूचना पुलिस थाने में भी दी जा सकती है।

10. किसी भी बाल विवाह को अमान्य घोषित कौन कर सकता है और इसके लिए याचिका दायर करने में क्या सीमाएँ हैं ?

बाल विवाह निषेध अधिनियम, 2006 लागु होने के पहले अथवा बाद में आयोजित किसी भी बाल विवाह को करार पक्ष, जो कि विवाह के समय बच्चा था, उस विकल्प के आधार पर निरस्त किया जा सकता हैः

- बाल विवाह को निरस्त करने हेतु याचिका जिला न्यायालय में करार पक्ष के द्वारा डाला जा सकता है।
- याचिका दायर करने के समय याचिकाकर्ता यदि अवयस्क है तो उस स्थिति में याचिका उसके अभिभावक या बाल विवाह निषेध पदाधिकारी के साथ उसका कोई मित्र याचिका दायर कर सकता है।
- विवाह को अमान्य घोषित करने हेतु याचिका दायर की जा सकती है परन्तु

याचिका दायर करने वाले बच्चे को दो वर्ष बहुमत प्राप्त करना होता है।

- अधिनियम की धारा 3 के तहत् विवाह की निरस्तता स्वीकृत करने हेतु जिला न्यायालय दोनों पक्षों के माता–पिता या अभिभावकों को एक दूसरे को विवाह के दौरान दिये गये सामान जैसे : रूपये, कीमती वस्तुएँ, जेवर तथा अन्य उपहारों या इन वस्तुओं के मुल्य के बराबर राशि वापस करने का आदेश दे सकता है। इस धारा के तहत् कोई भी आदेश तब तक निर्गत नहीं हो सकता है जब तक कि संबंधित पक्ष को नोटिस देकर जिला न्यायालय में उपस्थित कर उनसे पूछा जाए कि उनके विरूद्ध आदेश क्यों नहीं निर्गत किया जाए।

11. क्या कोई अवयस्क व्यक्ति बाल विवाह को अमान्य घोषित करने हेतु याचिका दायर कर सकता है ?

हाँ, याचिका दायर करने के समय याचिकाकर्ता यदि अवयस्क है तो उस स्थिति में याचिका उसके अभिभावक या बाल विवाह निषेध पदाधिकारी के साथ उसका कोई मित्र याचिका दायर कर सकता है।

12. क्या बाल विवाह को अमान्य घोषित करने हेतु याचिका दायर करने की कोई समय सीमा निर्धारित है ?

विवाह को अमान्य घोषित करने हेतु याचिका दायर की जा सकती है परन्तु याचिका दायर करने वाले बच्चे को दो वर्ष बहुमत प्राप्त करना होता है।

13. यदि कोई व्यक्ति, विवाह करने वाला बच्चा सहित, बाल विवाह रोकना चाहता है तो उसे किससे सम्पर्क करना चाहिये ?

कोई भी व्यक्ति बाल विवाह की सूचना विवाह के आयोजन के पहले या उसके बाद दे सकता है। इस सूचना के आधार पर त्वरित सूचना निम्नलिखित स्थानों पर दिया जाना चाहिये:

1. पुलिस – डायल करें 100
2. बाल विवाह निषेध पदाधिकारी अथवा इस संबंध में सहायता हेतु नियुक्त पदाधिकारी
3. प्रथम श्रेणी न्यायिक दण्डाधिकारी या मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट
4. किशोर न्याय (बच्चों की देखभाल एवं संरक्षण) अधिनियम, 2000 के तहत् सभी जिलों में गठित बाल कल्याण समिति के कोई भी सदस्य
5. चाइल्ड लाईन – डायल करें 1098
6. जिला मजिस्ट्रेट

14. बाल विवाह की रोकथाम हेतु नियुक्त पदाधिकारी कौन है ?

बाल विवाह निषेध अधिनियम, 2006 अन्तर्गत बाल विवाह की रोकथाम हेतु नियुक्त पदाधिकारी:

1. बाल विवाह निषेध पदाधिकारी
2. जिला मजिस्ट्रेट

3. प्रथम श्रेणी न्यायिक दण्डाधिकारी या मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट
4. पुलिस
5. परिवार न्यायालय
6. बाल विवाह निषेध पदाधिकारी की सहायता हेतु राज्य सरकार द्वारा नामित कोई भी पदाधिकारी जैसेः समाज सेवा में कार्यरत समुदाय का कोई प्रतिष्ठित सदस्य, ग्राम पंचायत या नगर निगम का पदाधिकारी, सरकारी अथवा लोक उपक्रम का कोई पदाधिकारी, किसी गैर सरकारी संस्था का अध्यक्ष।

15. कानून के अन्तर्गत बालिकाओं की देखभाल के लिए क्या प्रावधान है ?

बाल विवाह निषेध अधिनियम, 2006 की धारा 4 में यह प्रावधान किया गया है कि धारा 3 के तहत् आदेश (अमान्य घोषित करने हेतु) निर्गत कर जिला न्यायालय वर पक्ष को विवाह अमान्य घोषित करने के संबंध में अन्तरिम अथवा अंतिम आदेश निर्गत कर सकती है। यदि किसी विवाह में वर पक्ष अव्यस्क है तो उस स्थिति में वर के माता–पिता अथवा अभिभावक को लड़की की देखभाल हेतु उसके पूनर्विवाह तक रकम का भुगतान करना पड़ता है। रकम का निर्धारण जिला न्यायालय द्वारा लड़की की जरूरतों, रहन–सहन तथा वर पक्ष की आय के आधार पर किया जाता है। देखभाल की रकम प्रत्येक माह या एकमुश्त भी अदा की जा सकती है। अधिनियम की धारा 3 के अन्तर्गत यदि वधू पक्ष की ओर से याचिका दायर की जाती है तो उस अवस्था में जिला न्यायालय लड़की के पुनर्विवाह होने तक उसके निवास स्थान हेतु उपयुक्त आदेश निर्गत कर सकती है।

16. बाल विवाह से पैदा हुए बच्चों की अभिरक्षा तथा देखभाल हेतु क्या प्रावधान है ?

बाल विवाह से जन्म लिये गये बच्चों की अभिरक्षा तथा देखभाल हेतु अधिनियम की धारा 5 में प्रावधान किया गया है। यदि बाल विवाह के पश्चात् बच्चा जन्म लेता है तो उस स्थिति में उस बच्चे की अभिरक्षा तथा देखभाल हेतु जिला न्यायालय आवश्यक निर्देश दे सकता है। बच्चे की अभिरक्षा तथा देखभाल हेतु निर्देश देतु समय बच्चे का कल्याण तथा सर्वोत्तम हित का ध्यान रखना आवश्यक होता है। बच्चे की अभिरक्षा तथा देखभाल हेतु निर्देश में बच्चे को उसकी रूचि के अनुरूप सेवा प्रदान करने का निर्देश भी दिया जाता है। बच्चे के माता–पिता या अभिभावकों को भी बच्चे की अभिरक्षा तथा देखभाल हेतु जिला न्यायालय द्वारा आदेश निर्गत किया जा सकता है।

17. यदि कोई बच्चा बाल विवाह या अमान्य घोषित विवाह के द्वारा पैदा होता है तो क्या उसे नाजायज बच्चा कहा जाएगा ?

नहीं, वैसे बच्चों को सभी उद्देश्यों के लिए वैध / जायज बच्चा समझा जाएगा।

18. किसी विवाह को अमान्य घोषित कराने तथा अवयस्क बालिका तथा बाल विवाह से जन्मे बच्चों की देखभाल तथा अभिरक्षा हेतु याचिका दायर करने के लिए उचित न्यायालय कौन है ?

इस संबंध में बाल विवाह निषेध अधिनियम की धारा 8 में विस्तृत वर्णन किया गया है। विवाह को अमान्य घोषित करने के उद्देश्य से तथा लड़की एवं उनसे जन्मे बच्चे की अभिरक्षा तथा देखभाल हेतु जिला न्यायालय का अधिकार क्षेत्र हैः

क) प्रतिवादी या बच्चा जहाँ निवास करता है उस क्षेत्र का जिला न्यायालय, या
ख) जहाँ विवाह का आयोजन किया गया हो, या
ग) जहाँ दोनो पक्ष अन्तिम बार एकसाथ रहे हों, या
घ) याचिक दायर करने की तिथि में याचिकाकर्ता का निवास स्थान।

19. बाल विवाह में संलिप्तता के बावजूद किसे किसे कारावास की सजा नहीं दी जा सकती है ?

बाल विवाह निषेध अधिनियम, 2006 के तहत् किसी भी महिला को कारावास की सजा नहीं दी जा सकती है। हालांकि उस पर आर्थिक जुर्माना लगाया जा सकता है।

20. किस प्रकार के बाल विवाह को अमान्य माना जाता है ?

बाल विवाह को अमान्य घोषित किया जा सकता है यदि – विवाह के समय बच्चा अवयस्क हो; उसे बाल विवाह के लिए मजबुर किया गया हो; वैध माता–पिता द्वारा बहला–फुसलाकर विवाह कर दिया गया हो; विवाह के लिए बच्चे को बेच दिया गया हो या तस्करी की गई हो या अनैतिक व्यवहारों के लिए तथा अन्य विशेष परिस्थितियों में।

21. बाल विवाह के क्या प्रभाव हैं ?

- सभी बच्चों को एक पूर्ण व्यक्तित्व के रूप में विकसित होने के लिए उनकी सामाजिक एवं आर्थिक स्थिति की परवाह किये बिना समुचित देखभाल तथा संरक्षण प्राप्त करने का अधिकार है। बाल विवाह इन अधिकारों का घोर उल्लंघन है।
- बाल विवाह बच्चों को बेहतर स्वास्थ्य, पोषण शिक्षा तथा हिंसा, दुर्व्यवहार एवं शोषण से बचाव हेतु उनके मुल अधिकारों से वंचित करता है।
- यदि कोई व्यक्ति जिसका विवाह हो रहा हो वह बच्चा है तो उसकी शारीरिक, मानसिक तथा व्यक्तित्व के विकास के प्रति गम्भीर तथा जघन्य खतरा होता है। अधिकतर बच्चों को यह पता नहीं होता है कि विवाह के बाद उनके साथ क्या होने वाला है। विवाह के उपरान्त दुल्हा–दूल्हन के उपर अनेकों सामाजिक जिम्मेवारियाँ लगा दी जाती है। यह यौन क्रियाओं तथा प्रसव की भी सामाजिक स्वीकृति प्रदान करता है।
- लड़कियों के लिए कम उम्र में विवाह बार–बार तथा असुरक्षित यौन क्रियाओं की शुरूआत से उनमें बहुत सी स्वास्थ्य संबंधी समस्याएँ शुरू हो जाती हैं। इससे कम उम्र में प्रसव, प्रजनन पथ में संक्रमण तथा यौन क्रिया संबंधित बिमारियाँ होने की सम्भावना बढ़ जाती है। बार–बार गर्भधारण तथा गर्भपात कराने से लड़कियों की प्रजनन तथा जीवन के प्रति खतरा उत्पन्न होता है।
- कम उम्र में विवाह से किशोरी माँ तथा उसका बच्चा दोनों ही खतरे में पड़ सकते हैं। इससे शिशु मृत्यु दर, मातृ मृत्यु दर, अल्प वजन शिशु, कुपोषित तथा अनीमिया से पीड़ित बच्चों की सम्भावना बढ़ जाती है।
- कम उम्र में विवाह बच्चों के शिक्षा के अधिकारों का उल्लंघन है, इससे बच्चे अशिक्षित तथा अकुशल रह जाते हैं जिससे उन्हें बड़ों की तरह रोजगार तथा आर्थिक स्वतंत्रता का अवसर नहीं मिल पाता है।

- बाल वधू को अचानक ही अपने सभी सामाजिक समूहों से अलग कर दिया जाता है तथा उसे कुछ दोस्तों या हमउम्र बच्चों के साथ छोड़ दिया जाता है। इस प्रकार के सामाजिक अलगाव अलग प्रकार की परेशानियों को जन्म देती है जो उसके स्वास्थ्य, विकास तथा सेहत को बुरी तरह से प्रभावित करती हैं।
- माता–पिता बाल विवाह का समर्थन इस लिए करते हैं क्योंकि उनका मानना है कि इससे लड़कियाँ हिंसा से सुरक्षित रहेंगी। हालांकि माता–पिता इस बात से अनभिज्ञ रहते हैं कि बाल विवाह सही मायने में बच्चों क लिए अंतहीन घरेलु हिंसा तथा दुर्व्यवहार के प्रति द्वारा खोल देता है। बाल विवाह का व्यवहार आर्थिक यौन शोषण, बेगार हेतु तस्करी के लिए भी किया जाता है।
- बेटे की चाहत में कन्या भ्रुण हत्या लड़कियों के लिए खतरा उत्पन्न करता है। इससे विवाह योग्य लड़कियाँ मिलने में परेशानी उत्पन्न होती है जिस कारण बाल वधूओं की खरीद, या जिस राज्य में जहाँ असमान लिंग अनुपात है, वहाँ अधिक देखने को मिलता है। कुछ लड़कियाँ नकली विवाह की शिकार होकर यौन शोषण या बाल श्रम के जाल में फँस जाती हैं।

22. बाल विवाह से संबंधित मिथक क्या हैं ?

बाल विवाह से संबंधित कुछ लोकप्रिय विश्वास हैं जिन्हें पूर्ण शोध तथा जाँच के बाद मिथ्य साबित किया गया है। कुछ प्रमुख मिथ्य निम्नलिखित हैं :–

- बाल विवाह का प्रमुख कारण गरीबी है : ऐसा आवश्यक नहीं है। ऐसा देखा गया है कि बाल विवाह दोनों प्रकार के परिवारों (गरीब तथा अमीर) में होता है। पंजाब देश का सबसे धनी राज्य है परन्तु 18 वर्ष से कम आयु में लड़कियों के विवाह का अनुपात पिछले 7 वर्षों में नाटकीय रूप वर्ष 1998–99 में 12 प्रतिशत से बढ़कर वर्ष 2005–06 में 19 प्रतिशत तक बढ़ा है। यह पंजाब में गिरते लिंग अनुपात का मुख्य कारण हो सकता है। सूक्ष्म अध्ययन से पता चलता है कि अमीर परिवारों में कम आयु में विवाह होते हैं।
- कम आयु में विवाह करने से लड़कियाँ सुरक्षित हो जाएँगी : असल में यह विपरित कार्य करता है। कम उम्र में विवाहित लड़कियाँ शारीरिक, मानसिक तथा यौन दुर्व्यवहार तथा शोषण की शिकार अधिक होती हैं। इससे समय से पूर्व गर्भधारण का खतरा बढ़ जाता है जो बाद में अन्य बिमारियों का कारण बनता है।
- यदि लड़कों की शादी जल्दी नहीं हुई तो भविष्य में दूल्हन ढुँढने में कठिनाई होगी : यदि बाल विवाह पर पूर्ण पाबंदी होगी तथा सभी समुदाय इसे सख्ती से लागू करेंगे तो यह कोई समस्या नहीं रहेगी। इसके लिए कौन कदम बढ़ायेगा। लोगों को यह समझना चाहिये कि न्यूनतम लिंग अनुपात का कारण कन्या भ्रुण हत्या है। यदि कोई व्यक्ति लिंग जाँच कराने या लड़की को गर्भ में ही मारने जा रहा है तो उसे यह समझना चाहिये कि उसे आगे चलकर अपने बेटे के लिए लड़की कहाँ से मिलेगी।

23. विलोपन तथा तलाक मे क्या अन्तर है ?

हालांकि दोनों ही विवाह विच्छेद की कानूनी प्रक्रिया है परन्तु इनका संदर्भ और प्रक्रियाएँ भिन्न है। इन दोनों में मुल अन्तर यह है कि तलाक कानूनी रूप से वैध विवाह विच्छेद की

कानूनी प्रक्रिया है वहीं विलोपन गैर कानूनी विवाह विच्छेद की कानूनी प्रक्रिया है। तलाक की प्रक्रिया विलोपन की प्रक्रिया से अधिक जटिल है। विवाह विच्छेद के आधार पर भी दोनों प्रक्रियाओं में अन्तर है। विलोपन का आधार गलतबयानी या धोखा या बलात्कार होता है वहीं तलाक का आधार क्रुरता, व्यभिचार, परित्याग, दूसरा विवाह, वैवाहिक जीवन निर्वाह करने में शारीरिक अक्षमता, बेवफाई, छोड़ देना होता है।

24. बाल विवाह की घटनाओं को रोकने में जिला दण्डाधिकारी की क्या भूमिका होती है ?

- कुछ विशेष दिनों/अवसरों (जैसेः अक्षय तृतीया) पर बाल विवाह निषेध पदाधिकारी की सभी शक्तियों (बाल विवाह निषेध अधिनियम 2006 में प्रदान की गई) के साथ जिलाधिकारी (उपायुक्त) को बाल विवाह निषेध पदाधिकारी माना जाता है। इसके अतिरिक्त जिलाधिकारी (उपायुक्त) को समुचित कार्रवाई करने यहाँ तक कि बाल विवाह के आयोजन को रोकने हेतु बल प्रयोग करने का भी अधिकार होता है।
- अधिनियम के उल्लंघन पर स्वतः संज्ञान लेना।
- बाल विवाह रोकथाम में पंचायत सदस्यों की भूमिका पर उन्हें शिक्षित करना तथा बाल विवाह की सूचना देने हेतु उन्हें प्रेरित करना।
- देखभाल तथा संरक्षण के जरूरतमंद बच्चों के साथ ही साथ वैसे बच्चे जो बाल विवाह नहीं करना चाहते तथा बाल विवाह से बचाये गये बच्चों को सहायता प्रदान करने हेतु आवश्यक चाइल्ड हेल्पलाईन केन्द्रों की स्थापना करना।
- बाल विवाह के मामलों पर अनुमण्डल दण्डाधिकारी से त्रैमासिक प्रतिवेदन प्राप्त करना तथा समुचित कार्रवाई करना।

25. बाल विवाह की घटनाओं को रोकने में पुलिस की क्या भूमिका होती है ?

- FIR दर्ज कर जाँच करना;
- मामले की सूचना बाल विवाह निषेध पदाधिकारी को देना
- जिला मजिस्ट्रेट द्वारा आदेश पत्र निर्गत करने हेतु मामले की सूचना जिला मजिस्ट्रेट को देना
- बाल विवाह निषेध पदाधिकारी या नियुक्त व्यक्ति के साथ रहकर उन्हें सहयोग प्रदान करना
- अधिनियम का उल्लंघन करने वाले व्यक्ति को गिरफ्तार करना
- बच्चों को गिरफ्तार नहीं करना अथवा हथकड़ी नहीं लगाना
- बाल विवाह निषेध पदाधिकारी की अनुपस्थिति में नियुक्त व्यक्ति घटना स्थल का भ्रमण आवश्यक कार्रवाई करना।
- बच्चों के मामलों में काम करते समय उनके साथ बड़ों के जैसा सलुक नहीं करना।
- लड़कियों के मामलों में महिला पूलिस अधिकारी के साथ एक महिला सामाजिक कार्यकर्ता/शिक्षिका, आँगनवाड़ी सेविका, ए.एन.एम. या लड़की की कोई दोस्त को अपने साथ रखना।
- बच्चे को 24 घंटे के अन्दर नजदीक के बाल कल्याण समिति या समिति नहीं होने की स्थिति में प्रथम श्रेणी न्यायिक दण्डाधिकारी के समक्ष प्रस्तुत करना।

- बाल विवाह के पीड़ित बच्चे देखभाल एवं सरक्षण के जरूरतमंद बच्चे होते हैं तथा इस स्थिति में किशोर न्याय अधिनियम के नियमों का क्रियान्वयन किया जा सकता है।

26. बाल विवाह की घटना के लिए शिकायत कौन दर्ज करा सकता है तथा शिकायत कहाँ दर्ज करायी जा सकती है ?

किसी भी व्यक्ति के द्वारा शिकायत दर्ज की जा सकती है जिनमें :–

- ऐसा व्यक्ति जिसके पास बाल विवाह आयोजन के बारे में विश्वास करने का समुचित कारण हो;
- ऐसा व्यक्ति जिसे बाल विवाह के आयोजन की जानकारी हो;
- शिक्षक, चिकित्सक, ए.एन.एम., आँगनवाड़ी सेविका, ग्राम स्तरीय कार्यकर्ता स्वयं सहायता समुह के सदस्य, गाँव के बड़े–बुज़ुर्ग, पड़ोसी इत्यादि;
- बच्चे के माता–पिता या अभिभावक;
- बाल विवाह निषेध पदाधिकारी या उन्हें सहयोग करने हेतु नियुक्त व्यक्ति;
- विश्वस्त सुत्रों के आधार पर गैर सरकारी संस्था द्वारा।
- चूँकि बाल विवाह का आयोजन एक संज्ञेय अपराध है अतः इस संबंध में नजदीक के पुलिस थाने में शिकायत दर्ज कराया जा सकता है। पुलिस द्वारा शिकायत को दैनिक डायरी पंजी में अंकित कर उस शिकायत के आधार पर FIR दर्ज किया जाता है। मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट/प्रथम श्रेणी न्यायिक दण्डाधिकारी के समक्ष भी शिकायत दर्ज किया जा सकता है। शिकायत मौखिक अथवा लिखित रूप में फोन, पत्र, टेलीग्राम, ई–मेल, फैक्स या साधरण हाथ से लिखकर भी दिया जा सकता है।

27. बाल विवाह रोकथाम अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत किसे दण्डित किया जा सकता है ?

- बाल विवाह का आयोजन करने वाला, प्रोत्साहित करने वाले व्यक्ति को दण्डित किया जा सकता है (धारा 10)
- 18 वर्ष से अधिक आयु का पुरूष यदि किसी बच्ची से विवाह करता हो (धारा 9)
- बच्चे की देख–रेख करने वाला व्यक्ति
- माता–पिता या अभिभावक
- कोई अन्य व्यक्ति (कानूनी या गैरकानूनी)
- संस्था का कोई सदस्य या लोगों का समुह जो बाल विवाह को बढ़ावा देता हो, या उसकी स्वीकृति देता हो या उसमें भाग लेता हो (धारा 11)
- दोनों पक्षों के माता–पिता या अभिभावक
- पुजारी
- दोनों पक्षों के रिश्तेदार/मित्र
- दोनों पक्षों के पड़ोसी जिन्होने बाल विवाह में भाग लिया हो या योगदान दिया हो।
- वैसे जनप्रतिनिधि जो इस प्रकार के विवाह को संरक्षण देते हैं।
- विवाह तय करने वाले व्यक्ति या मैरेज ब्यूरो।
- तस्कर
- खाना बनाने वाले या अन्य सेवा प्रदान करने वाले।

28. अमान्यता क्या है, बाल विवाह को अमान्य घोषित कैसे किया जा सकता है ?

अधिनियम की धारा 13 में पारित बाल विवाह रोकथाम हेतु आदेश के बावजूद भी यदि बाल विवाह का आयोजन किया जाता है तो उस विवाह को अमान्य घोषित कर दिया जाता है।

29. बाल विवाह से प्रभावित बच्चों को चिकित्सीय तथा कानूनी सहायता उपलब्ध कराने की शक्ति किसे प्राप्त है ?

बाल विवाह से प्रभावित बच्चों को चिकित्सीय तथा कानूनी सहायता उपलब्ध कराने की शक्ति बाल विवाह निषेध पदाधिकारी को प्राप्त है। इसके अतिरिक्त प्रखण्ड, जिला तथा राज्य स्तर पर कानूनी सहायता प्राधिकार है जो सम्पर्क किये जाने पर बच्चों को मुफ्त कानूनी सलाह तथा सेवा उपलब्ध कराता है।

30. बाल विवाह को रोकने के लिए कौन-कौन से सरकारी योजनाएँ चलाई जा रही है ?

लड़कियों को कुशल तथा जिम्मेवार नागरिक की तरह विकास का अवसर देने हेतु तथा बाल विवाह को रोकने के लिए कुछ योजनाओं का क्रियान्वयन किया जा रहा है। सामुहिक विवाह अनुदान, बाल विवाह तथा दहेज प्रथा की रोकथाम के उद्देश्य से चलाई जा रही एक ऐसी योजना है जिसमें राज्य सरकार द्वारा सामूहिक विवाह के बाद विवाहित दम्पति के साथ–साथ आयोजकों को अनुदान (दूल्हन को सावधि जमा के रूप में) की राशि दी जाती है।

सहयोग योजना के तहत् गरीबी रेखा से नीचे के परिवारों को उनकी बेटी (अधिकतम दो लड़कियाँ) की शादी के लिए 1,00,000/– रूपये 18 वर्ष की आयु के बाद शादी करने के समय दी जाती है साथ ही साथ बेटियों के 10वीं तथा स्नातक पास करने पर क्रमशः 5000/– रूपये तथा 10,000 रूपये की अतिरिक्त राशि भी दी जाती है। इसी प्रकार, 10,000/ रूपये की राशि अनुदान के रूप में आर्थिक रूप से कमजोर विधवाओं को उनकी बेटियों की शादी के लिए दी जाती है। अन्तर्जातीय विवाह को बढ़ावा देने के लिए विवाहित जोड़े को अनुदान प्रदान करने की भी योजना है (31 मार्च 2013 से पहले, 50,000/– रूपये तथा 31 मार्च 2013 के बाद 5,00,000/– रूपये)।

पालनहार, आपकी बेटी, बालिका सम्बल योजना, ज्योति योजना, किशोरी शक्ति योजना, देव नारायन योजना, सबला, विभिन्न छात्रवृति योजना, बालिकाओं के लिए आवासीय विद्यालय इत्यादि कुछ ऐसी योजनाएँ है जिसका लक्ष्य सामाजिक तथा आर्थिक रूप से पिछड़े परिवारों को उनके बच्चों को, विशेषकर लड़कियों को, बेहतर स्वास्थ्य, पोषण तथा शिक्षा सुविधा उपलब्ध कराने हेतु सामाजिक सहायता तथा अवसर प्रदान करना है। इस प्रकार की योजनाओं से बाल विवाह को रोकने में सहायता मिलती है। योजनाओं में निरन्तर बदलाव किये जा रहे हैं अतः नई योजनाओं/संशोधित योजनाओं की जानकारी के लिए जिला से सम्पर्क किया जा सकता है।

31. बाल विवाह रोकथाम पदाधिकारी की क्या कार्य होते हैं ?

- बाल विवाह निषेध अधिनियम, 2006 तथा झारखण्ड राज्य बाल विवाह निषेध नियमावली, 2007 के अन्तर्गत बाल विवाह निषेध पदाधिकारी के निम्नलिखित कार्य हैं:–
- बाल विवाह के आयोजन पर रोक लगाना;

- अधिनियम का उल्लंघन करने वाले व्यक्ति के विरूद्ध प्रभावी अभियोजन प्रस्तुत करने हेतु साक्ष्य संग्रह करना;
- व्यक्तिगत मामलों अथवा क्षेत्र में निवास करने वाले लोगों को बाल विवाह को प्रोत्साहित करने, उसमें सहायता करने या उसके आयोजन में सहयोग न करने के लिए जागरूक करना;
- बाल विवाह से होने वाले नुकसानों के प्रति समुदाय को संवेदनशील बनाना;
- राज्य सरकार के समक्ष प्रस्तुत करने हेतु सामयिक प्रतिवेदन तथा आँकड़े तैयार करना ;
- राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर दिये गये निर्देशों का पालन करना;
- विवाह निबंधन कार्यालय के अभिलेखों का समय–समय पर निरीक्षण करना तथा अधिनियम का उल्लंघन कर बाल विवाह के आयोजन का मामला आने पर समुचित कार्यवाई करना

32. क्या मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी, विश्वस्त सूत्रों से प्राप्त बाल विवाह की सूचनाओं के आधार पर स्वत: संज्ञान ले सकते हैं ?

हाँ, अधिनियम की धारा 13 (3) के तहत्, प्रथम श्रेणी न्यायिक दण्डाधिकारी या मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट विश्वसनीय सूचनाओं के आधार पर न्यायालय भी स्वतः संज्ञान ले सकते हैं।

33. क्या मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी, बाल विवाह तय होने या आयोजित होने की पुष्टि होने पर या बाल विवाह के दौरान रोक लगाने का निर्णय ले सकते हैं ?

अधिनियम की धारा 13 (1) के तहत् यदि बाल विवाह निषेध पदाधिकारी के आवेदन या शिकायत प्राप्त होने पर या किसी व्यक्ति के द्वारा सूचना देने पर प्रथम श्रेणी न्यायिक दण्डाधिकारी अथवा मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट द्वारा बाल विवाह निषेध अधिनियम का उल्लंघन कर किये जा रहे विवाह के आयोजन की पुष्टि कर विवाह रोकने का आदेश दे सकते हैं।

34. क्या बाल विवाह रोकथाम अधिनियम का उल्लंघन दण्डनीय तथा गैर–जमानती अपराध है ?

हाँ बाल विवाह निषेध अधिनियम 2006 के अनुसार इस अधिनियम का उल्लंघन एक दण्डनीय तथा गैर जमानती अपराध है।

35. बाल विवाह से संबंधित कानूनों के उल्लंघन के मामलों में दण्ड का क्या प्रावधान है ?

कोई भी 18 वर्ष से अधिक आयु का पुरूष यदि किसी 18 वर्ष से कम आयु की लड़की से विवाह करता है तो उसे 2 वर्षों तक कठोर कारावास या 1 लाख रूपये जुर्माना या दोनों दण्ड दिये जा सकते है। वैसे सभी व्यक्ति जो बाल विवाह में लिप्त होते हैं उन्हें 2 वर्षों के कठोर कारावास तथा 1 लाख रूपये का जुर्माना का दण्ड दिया जा सकता है। बच्चे का बाल विवाह होने की स्थिति में बच्चे की देखभाल करने वाले कोई भी व्यक्ति, चाहे उसके माता–पिता/अभिभावक या कोई अन्य व्यक्ति, किसी संस्था का सदस्य या समूह जो बाल विवाह को प्रोत्साहित करता हो या उसके आयोजन की अनुमति देता हो उसे भी 2 वर्षों के कठोर कारावास तथा 1 लाख रूपये का जुर्माना का दण्ड दिया जा सकता है।

बाल विवाह पर पंचायत स्तर पर सवाल-जवाब

1. बाल विवाह से क्या तात्पर्य है ?

बाल विवाह रोकथाम अधिनियम, 2006 की धारा 2 (a) के तहत्, बाल विवाह एक प्रकार का विवाह है जिसमें किसी एक तरफ से विवाह करने वाला व्यक्ति बच्चा है।

2. बाल विवाह अधिनियम में बच्चा किसे कहा गया हैं ?

बाल विवाह रोकथाम अधिनियम, 2006 की धारा 2 (a) के तहत 18 वर्ष से कम आयु की लड़की तथा 21 वर्ष से कम आयु के लड़के को बच्चे के रूप में परिभाषित किया गया है। इसका अर्थ है कि लड़कियों के लिए विवाह की न्यूनतम आयु 18 वर्ष तथा लड़के के लिए 21 वर्ष है। यहाँ यह उल्लेख करना प्रासंगिक होगा कि बाल विवाह निषेध अधिनियम, 2006 में केवल विवाह की कानूनी आयु तय की गई है। इसमें किसी भी प्रकार से बच्चे के आयु वर्ग को परिभाषित नहीं किया गया है।

3. बच्चा किसे कहते हैं ?

संयुक्त राष्ट्र बाल अधिकार समझौता–1989 में कहा गया है कि "बच्चे का अर्थ हर उस मनुष्य से है जिसने अब तक 18 वर्ष की आयु पूर्ण नहीं की है, जब तक की बाल्यावस्था की आयु सीमा निर्धारण हेतु कोई नया कानून लागू न हो। यद्यपि भारतीय बहुमत अधिनियम के अन्तर्गत बहुमत द्वारा निर्णय कर बाल्यावस्था की आयु 18 वर्ष तय की गई है। अतः 18 वर्ष के कम आयु के व्यक्ति को बच्चा कहा जाता है। बच्चों की आयु आधारित परिभाषा की पुष्टि किशोर न्याय (देखभाल तथा संरक्षण) अधिनियम 2015 के अन्तर्गत की गई है जिसमें कहा गया है कि किशोर या बच्चा वह है जिसने 18 वर्ष की आयु पूर्ण नहीं किया है।

4. बाल विवाह के क्या कारण हैं ?

शिक्षा एवं जागरूकता की कमी का परिणाम बाल विवाह है। समाज में बाल विवाह आयोजन की पुरानी पारम्परिक प्रक्रिया, कानून का खराब क्रियान्वयन तथा प्रशासन के ओर से इच्छाशक्ति तथा कार्यों की कमी के साथ–साथ पूरे देश में बाल विवाह की निरन्तरता का मुख्य कारण है। कुछ महत्वपूर्ण कारण निम्नलिखत हैः–

- लड़कियों को पराया धन समझना, तथा माता–पिता द्वारा लड़कियों की शिक्षा तथा विकास के प्रति उदासिनता का रवैया अपनाकर उसका विवाह जल्दी कर देना।
- सामान्यतः लड़कियों को परिवार में बोझ समझा जाता है तथा परम्परागत तौर पर समुदाय का यह रवैया होता है कि लड़कियों की शादी जल्दी से जल्दी करा दी जाए।

- लड़कियों के प्रति यौन हिंसा की आशंका से बचाव तथा माता–पिता एवं समाज द्वारा लड़कियों को सुरक्षा उपलब्ध कराने में असमर्थ होना भी बाल विवाह के लिए कारण बताया जाता है। समुदाय में ऐसा विश्वास है कि जल्दी विवाह करने से लड़कियों की शुद्धता तथा इज्जत सुरक्षित रहती है।
- माता–पिता द्वारा यह पक्ष रखा जाता है कि कम उम्र में लड़कियों की शादी करने से दहेज कम देना पड़ेगा।
- कम आयु की दूल्हन की मांग भी परिवारों को लड़कियों के कम उम्र में विवाह हेतु प्रेरित करती है ताकि अधिक उम्र होने पर अधिक दहेज देने से बचा जा सके।
- माता–पिता यह समझते हैं कि लड़कियों का विवाह जल्दी करने से उसका भविष्य सुरक्षित रहता है।
- अन्य सांस्कृतिक प्रथाएँ, जैसे, सगे–संबंधियों के बीच विवाह, शुभ या विशेष प्रयोजनों में विवाह भी बाल विवाह को राज्य में बढ़ावा देती है।

5. बाल विवाह पर विशेष रूप से तैयार किये गये प्रमुख कानून क्या है ?

दिनांक 01 नवम्बर 2007 को लागू किया गया बाल विवाह निषेध अधिनियम, 2006 देश में बाल विवाह से संबंधित मामलों के लिए तैयार किया गया प्रमुख कानून है।

6. बाल विवाह रोकथाम मे पंचायत क्या कर सकती है ?

बाल विवाह रोकथाम मे पंचायत की महत्वपूर्ण योगदान है। पंचायत अपने स्तर पर जागरुकता कार्यक्रम, वार्ड बैठक, ग्राम सभा आयोजित कर बाल विवाह से हाने वाले नुकसान के बारे मे जानकारी दे सकती है। पंचायत सुनिश्चित करे की सभी बच्चें स्कूल मे अध्यनरत हो और नियमित हो। अगर कोई बच्चा अनियमित होता है तो पंचायत उसको ट्रैक कर पता करे कि कही उसका बाल विवाह तो नही हो रहा है। समय–समय पर सरकार द्वारा चलाये जा रहे कार्यक्रम से वंचित परिवारों को जोड़ कर बाल विवाह रोक सकती है।

7. पंचायत या वार्ड सदस्य बाल विवाह की जानकारी कैसे प्राप्त कर सकते है ?

पंचायत व वार्ड सदस्य निम्न तरीकों से बाल विवाह की जानकारी प्राप्त कर सकते है –

- अगर कोई बच्चा स्कूल से अनियमित होता है
- सामाजिक सुरक्षा योजनाओं से वंचित परिवारों की जानकारी
- अबूझ सावों या अक्षय तृतीया के दिनों मे परिवार का पलायन
- मृत्युभोज पर बड़े कार्यक्रम का आयोजित हेाना
- बाल समूह या बाल संरक्षण समिति के माध्यम से

- जबरदस्ती जन्म प्रमाण पत्र तैयार करवाने मे
- पुलिस या अन्य माध्यमों से जानकारी प्राप्त कर।

8. बाल विवाह आयोजन रोकने के लिए क्या कदम उठाये जा सकते हैं ?

- बाल विवाह निषेध पदाधिकरी या किसी व्यक्ति / गैर सरकारी संस्था के पास बाल विवाह आयोजन की जानकारी उपलब्ध हो तो वह उस सूचना के आधार पर मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट / प्रथम श्रेणी न्यायिक दण्डाधिकारी के समक्ष शिकायत दर्ज करा सकता है। विश्वसनीय सूचनाओं के आधार पर न्यायालय भी स्वतः संज्ञान ले सकता है।
- बाल विवाह निषेध अधिनियम, 2006 की धारा 13 के तहत् न्यायालय बाल विवाह उस बाल विवाह के आयोजन पर रोक लगा सकता है। किसी व्यक्ति के विरूद्ध आदेश निर्गत होने के बाद भी वह बाल विवाह का आयोजन करता है तो उसे 2 वर्ष तक का कारावास या 1 लाख रूपये आर्थिक दण्ड या दोनों दिया जा सकता है। यहाँ यह सूचित करना आवश्यक है कि इस मामले में किसी भी महिला को कारावास की सजा नहीं दी जा सकती है। आदेश की अवहेलना कर किया गया बाल विवाह अमान्य होगी।
- बाल विवाह रोकने के लिए जिला मजिस्ट्रेट कोई भी कदम उठा सकता है।
- बाल विवाह की सूचना पुलिस थाने में भी दी जा सकती है।

9. क्या केवल स्कूल नहीं जाने वाली लड़कियों का बाल विवाह होता है ?

प्रायः ऐसा देखा जाता है कि स्कूल ना जाने वाले बच्चों का बाल विवाह कर दिया जाता है। परिवार की ऐसी सोच हो जाती है कि वह लड़कियों को बोझ मानने लगते है और उनको डर लगने लगता है कि लड़की के साथ कोई अप्रिय घटना हो गई तो उनको शर्मसार होना पड़ेगा। इसलिए वह स्कूल नहीं जाने वाली लड़कियों का बाल विवाह कर देते है। बाल विवाह होने के और भी बहुत से कारण हो सकते है जिसमे स्कूल न जाना भी बाल विवाह का एक प्रमुख कारण हो सकता है।

10. बाल विवाह की सूचना मिलने पर पंचायत क्या कर सकती है ?

बाल विवाह की सूचना मिलने पर पंचायत पुलिस को सूचित कर सकती है और बाल विवाह रोकने मे मदद कर सकती है।

11. अगर बाल विवाह हो गया तो उसे प्रतिसिद्ध कैसे किया जा सकता है ?

अगर बाल विवाह हो गया है तो उसको प्रतिसिद्ध नहीं किया जा सकता। ऐसे बाल विवाह को कोर्ट मे अर्जी देकर शुन्यकरणीय किया जा सकता है।

12. यदि कोई व्यस्क व्यक्ति किसी नाबालिग बालिका से विवाह करता है तो क्या होगा ?

कोई भी 18 वर्ष से अधिक आयु का पुरूष यदि किसी नाबालिग लड़की से विवाह करता है तो उसे 2 वर्षों तक कठोर कारावास या 1 लाख रूपये जुर्माना या दोनों दण्ड दिया जा सकता है।

13. क्या बाल विवाह गरीब परीवार वाले ही करते है ?

केवल गरीब परिवार ही बाल विवाह नही करते है बल्कि बहुत से समुदाय बाल विवाह अनुष्ठान कराते है। गरीबी, बाल विवाह का प्रमुख कारण नही है, अन्य सामाजिक कुरुतियां लड़कियों के प्रति असवेंदनशिलता, लड़कियों को कम महत्व देना, अशिक्षा इत्यादी कारण है।

14. अगर कोई परीवार विवशता या मजबूरी मे बाल विवाह करता है तो पंचायत उसकी मदद कैसे कर सकती है ?

अगर पंचायत को सूचना मिलती है कि कोई परिवार विवशता मे बाल विवाह कर रहा है तो पंचायत उस परिवार से सम्पर्क कर उसको बाल विवाह से होने वाले नुकसान के बारे मे बता सकती है अगर पंचायत को प्रतित होता है कि परिवार को आर्थिक मदद की जरुरत है तो पंचायत उस परिवार को सामाजिक सुरक्षा योजना जैसे मनरेगा, स्वंय सहायता समूह / स्वरोजगार इत्यादी से जोड़ने मे मदद कर सकती है।

15. क्या लड़के वालों की तरफ से बाल विवाह शुन्यकरणीय करवाया जा सकता है ?

हाँ, लड़के वालों की तरफ से भी बाल विवाह शुन्यकरणीय किया जा सकता है।

16. क्या बाल विवाह करने पर किशोर न्याय अधिनियम के अन्तर्गत भी सजा दी जा सकती है ?

हाँ, अगर कथित परिस्थिति मे बालक का विक्रय औार उपापत्र किया जाता है और किसी रुप मे उसका विवाह कराया जाता है तो किशोर न्याय अधिनियम की धारा 81 अन्तर्गत उसकों पांच वर्ष तक की सजा और 1 लाख रुपये के जुर्माने से दण्डनीय होगा।

17. बाल विवाह करने से नुकसान क्या है ?

बाल विवाह कर देने के पश्चातः बच्चों को अपने जीवन मे निम्न समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है–

- बाल विवाह से अच्छा स्वास्थ्य, पोषण व शिक्षा पाने और हिंसा, उत्पीड़न व शोषण

से बचाव के मूलभूत अधिकारों का हनन होता है।

- बाल विवाहित बच्चों की शिक्षा छुट जाती है।
- बाल विवाहित बच्चों को उम्र व क्षमता से पहले अनेक जिम्मेदारीयाँ मिल जाती है जिनको निभाने के दौरान बच्चें मानसिक अवसाद के शिकार हो जाते है या आत्महत्या कर लेते है।
- बच्चों के खेलने, घुमने, कपड़े पहनने इत्यादी पर अनेक पाबन्दियाँ लग जाती है।
- जिम्मेदारीयों को निभाने के लिऐ बाल श्रम करना पड़ता है।
- लड़कियाँ बाल विवाह के कारण जल्द ही ससुराल जाने लग जाती है जहाँ उनके साथ जबरदस्ती यौन सम्बन्ध बनाये जाते है, जिसके लिऐ वो तैयार नहीं होती है और समझ नहीं पाती की उनके साथ जो हो रहा है वो सही है या गलत और वो मानसिक अवसाद से ग्रस्त हो जाती है। जिसके कारण जीवन पर्यन्त निर्णय लेने व परिवार के संचालन का नेतृत्व नहीं कर पाती है।
- बाल विवाह का मतलब होता है जल्दी माँ बनना। इसके कारण कम उम्र की माँ व उसके बच्चें दोनो की सेहत खतरे मे पड़ जाती है।
- बाल विवाह का एक नतीजा यह भी होता है कि लड़कियों को बार–बार गर्भधारण और गर्भपात करवाना पड़ता है इससे न केवल नवजात शिशुओं का वजन कम रह जाता है बल्कि उनके सामने कुपोषण व खून की कमी की भी ज्यादा आंशका रहती है ऐसे प्रसवों मे शिशु मृत्यु दर व प्रसूता मृत्यु दर ज्यादा पायी गई है इतना ही नहीं कम उम्र मे यौन गतिविधियों से प्रजनन नली मे संक्रमण और एचआईवी/एड्स सहित यौन संक्रामक बीमारीयों की चपेट मे आने का खतरा भी काफी बढ़ जाता है।
- जच्चा व बच्चा दोनों का स्वास्थ्य कमजोर रहता है।
- बाल विवाह के पश्चात परिवार मे आपसी अनबन या लड़के–लड़की के विचार नहीं मिलने से पारिवारिक तनाव का माहौल बना रहता है व सम्बन्ध विच्छेद हो जाते है या गृह क्लेश बना रहता है।
- परिवार को चलाने की मजबूरी मे लड़का अच्छा व्यवसाय नहीं कर पाता है जो भी रोजगार मिलता है करना पड़ता है जिससे परिवार की आर्थिक स्थिति कमजोर रहती है और छोटी–छोटी जरुरतों के लिऐ कर्जा लेना पड़ता है और ब्याज व कर्ज से कभी मुक्त नहीं हो पाता व अच्छा जीवन नहीं जी पाता है।
- बाल विवाह मे बच्चों की स्वीकृति या आपसी तालमेल बिठाये बगैर घरवाले अपनी जिम्मेदारी से मुक्त होने के चक्कर मे बेमेल जोड़े बना देते है जो जीवन–पर्यन्त दुःख व आपसी विवाद एंव घरेलु हिसां का कारण बनते है।
- कई माँ–बाप मानते है कि अगर लड़कियों का विवाह जल्द कर दिया जाये तो उन्हें हिंसा से बचाया जा सकता है। ऐसे माँ–बाप यह नहीं समझते कि बाल विवाह तो

वास्तव मे घरेलू हिंसा और उत्पीड़न के लंबे सिलसिले का दरवाजा खोल देता है कई बार तो बाल विवाह ही लड़कियों के व्यवसायिक यौन शोषण, बाल श्रम या खरीद–फरोख्त का कारण बनते है।

18. क्या लड़के बाल विवाह रोकथाम मे सहयोग कर सकते है ?

लड़के भी बाल विवाह रोकने मे महत्वपूर्ण योगदान कर सकते है। बाल विवाह में लड़कों को भी काफी नुकसान होता है जैसे स्कूल छोड़ना, बाल मजदूरी करना, कम उम्र मे पिता बनना और पारिवारिक जिम्मेदारी का बोझ उठाना, मानसिक उत्पीड़न इत्यादी शामिल है। अगर लड़के बाल विवाह करने से मना कर दे तो बाल विवाह मे बहुत कमी आ सकती है।

19. संज्ञये अपराध का क्या मतलब होता है ?

आम तौर पर संज्ञये अपराध का मतलब है कि पुलिस अधिकारी ऐसे अपराध करने वाले व्यक्ति को बिना वारंट के गिरप्तार कर सकती है और जांच शुरु कर सकती है इसके लिए पुलिस को कोर्ट से अनुमति लेने की जरुरत नहीं है। ऐसे संज्ञय अपराध में पुलिस अपने स्तर पर एफ.आई.आर. दर्ज कर सकती है। आमतौर पर तीन वर्ष या उससे ज्यादा की सजा को गंभीर अपराध माना जाता है और वह संज्ञेय अपराध की श्रेणी मे आता है।

20. यदि कोई व्यक्ति, विवाह करने वाला बच्चा सहित, बाल विवाह रोकना चाहता है तो उसे किससे सम्पर्क करना चाहिये ?

कोई भी व्यक्ति बाल विवाह की सूचना विवाह के आयोजन के पहले या उसके बाद दे सकता है। इस सूचना के आधार पर त्वरित सूचना निम्नलिखित स्थानों पर दिया जाना चाहियेः

1. पुलिस – डायल करें 100
2. बाल विवाह निषेध पदाधिकारी अथवा इस संबंध में सहायता हेतु नियुक्त पदाधिकारी
3. प्रथम श्रेणी न्यायिक दण्डाधिकारी या मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट
4. किशोर न्याय (बच्चों की देखभाल एवं संरक्षण) अधिनियम, 2000 के तहत् सभी जिलों में गठित बाल कल्याण समिति के कोई भी सदस्य
5. चाइल्डलाईन – डायल करें 1098
6. जिला मजिस्ट्रेट

21. बाल विवाह की रोकथाम हेतु नियुक्त पदाधिकारी कौन है ?

बाल विवाह निषेध अधिनियम, 2006 अन्तर्गत बाल विवाह की रोकथाम हेतु नियुक्त पदाधिकारीः

1. बाल विवाह निषेध पदाधिकारी
2. जिला मजिस्ट्रेट
3. प्रथम श्रेणी न्यायिक दण्डाधिकारी या मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट
4. पुलिस
5. परिवार न्यायालय
6. बाल विवाह निषेध पदाधिकारी की सहायता हेतु राज्य सरकार द्वारा नामित कोई भी पदाधिकारी जैसेः समाज सेवा में कार्यरत समुदाय का कोई प्रतिष्ठित सदस्य, ग्राम पंचायत या नगर निगम का पदाधिकारी, सरकारी अथवा लोक उपक्रम का कोई पदाधिकारी, किसी गैर सरकारी संस्था का अध्यक्ष।

22. कानून के अन्तर्गत बालिकाओं की देखभाल के लिए क्या प्रावधान है ?

बाल विवाह निषेध अधिनियम, 2006 की धारा 4 में यह प्रावधान किया गया है कि धारा 3 तहत् आदेश (अमान्य घोषित करने हेतु) निर्गत कर जिला न्यायालय वर पक्ष को विवाह अमान्य घोषित करने के संबंध में अन्तरिम अथवा अंतिम आदेश निर्गत कर सकती है। यदि किसी विवाह में वर पक्ष अव्यस्क है तो उस स्थिति में वर के माता–पिता अथवा अभिभावक को लड़की की देखभाल हेतु उसके पूनर्विवाह तक रकम का भुगतान करना पड़ता है। रकम का निर्धारण जिला न्यायालय द्वारा लड़की की जरूरतों, रहन–सहन तथा वर पक्ष की आय के आधार पर किया जाता है। देखभाल की रकम प्रत्येक माह या एकमुश्त भी अदा की जा सकती है। अधिनियम की धारा 3 के अन्तर्गत यदि वधू पक्ष की ओर से याचिका दायर की जाती है तो उस अवस्था में जिला न्यायालय लड़की के पुनर्विवाह होने तक उसके निवास स्थान हेतु उपयुक्त आदेश निर्गत कर सकती है।

23. बाल विवाह से संबंधित मिथक क्या हैं ?

बाल विवाह से संबंधित कुछ लोकप्रिय विश्वास हैं जिन्हें पूर्ण शोध तथा जाँच के बाद मिथ्य साबित किया गया है। कुछ प्रमुख मिथ्य निम्नलिखित हैं :–

- बाल विवाह का प्रमुख कारण गरीबी है : ऐसा आवश्यक नहीं है। ऐसा देखा गया है कि बाल विवाह दोनों प्रकार के परिवारों (गरीब तथा अमीर) में होता है। पंजाब देश का सबसे धनी राज्य है परन्तु 18 वर्ष से कम आयु में लड़कियों के अववाह का अनुपात पिछले 7 वर्षों में नाटकीय रूप वर्ष 1998–99 में 12 प्रतिशत से बढ़कर वर्ष 2005–06 में 19 प्रतिशत तक बढ़ा है। यह पंजाब में गिरते लिंग अनुपात का मुख्य कारण हो सकता है। सूक्ष्म अध्ययन से पता चलता है कि अमीर परिवारों में कम आयु में विवाह होते हैं।
- कम आयु में विवाह करने से लड़कियाँ सुरक्षित हो जाएँगी : असल में यह विपरित

कार्य करता है। कम उम्र में विवाहित लड़कियाँ शारीरिक, मानसिक तथा यौन दुर्व्यवहार तथा शोषण की शिकार अधिक होती हैं। इससे समय से पूर्व गर्भधारण का खतरा बढ़ जाता है जो बाद में अन्य बिमारियों का कारण बनता है।

- यदि लड़कों की शादी जल्दी नहीं हुई तो भविष्य में दूल्हन ढुँढने में कठिनाई होगी : यदि बाल विवाह पर पूर्ण पाबंदी होगी तथा सभी समुदाय इसे सख्ती से लागू करेंगे तो यह कोई समस्या नहीं रहेगी। इसके लिए कौन कदम बढ़ायेगा। लोगों को यह समझना चाहिये की न्यूनतम लिंग अनुपात का कारण कन्या भ्रुण हत्या है। यदि कोई व्यक्ति लिंग जाँच कराने या लड़की को गर्भ में ही मारने जा रहा है तो उसे यह समझना चाहिये कि उसे आगे चलकर अपने बेटे के लिए लड़की कहाँ से मिलेगी।

24. बाल विवाह की घटना के लिए शिकायत कौन दर्ज करा सकता है तथा शिकायत कहाँ दर्ज करायी जा सकती है ?

किसी भी व्यक्ति के द्वारा शिकायत दर्ज की जा सकती है जिनमें :–

- ऐसा व्यक्ति जिसके पास बाल विवाह आयोजन के बारे में विश्वास करने का समुचित कारण हो;
- ऐसा व्यक्ति जिसे बाल विवाह के आयोजन की जानकारी हो;
- शिक्षक, चिकित्सक, ए.एन.एम., आँगनवाड़ी सेविका, ग्राम स्तरीय कार्यकर्ता स्वयं सहायता समुह के सदस्य, गाँव के बड़े–बुजूर्ग, पड़ोसी इत्यादि;
- बच्चे के माता–पिता या अभिभावक;
- बाल विवाह निषेध पदाधिकारी या उन्हें सहयोग करने हेतु नियुक्त व्यक्ति;
- विश्वस्त सुत्रों के आधार पर गैर सरकारी संस्था द्वारा।

चूँकि बाल विवाह का आयोजन एक संज्ञेय अपराध है अतः इस संबंध में नजदीक के पुलिस थाने में शिकायत दर्ज कराया जा सकता है। पुलिस द्वारा शिकायत को दैनिक डायरी पंजी में अंकित कर उस शिकायत के आधार पर FIR दर्ज किया जाता है। मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट / प्रथम श्रेणी न्यायिक दण्डाधिकारी के समक्ष भी शिकायत दर्ज किया जा सकता है। शिकायत मौखिक अथवा लिखित रूप में फोन, पत्र, टेलीग्राम, ई–मेल, फैक्स या साधरण हाथ से लिखकर भी दिया जा सकता है।

25. बाल विवाह रोकथाम अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत किसे दण्डित किया जा सकता है ?

- बाल विवाह का आयोजन करने वाला, प्रोत्साहित करने वाले व्यक्ति को दण्डित किया जा सकता है (धारा 10)
- 18 वर्ष से अधिक आयु का पुरूष यदि किसी बच्ची से विवाह करता हो (धारा 9)

- बच्चे की देख–रेख करने वाला व्यक्तिः–
- माता–पिता या अभिभावक
- कोई अन्य व्यक्ति (कानूनी या गैरकानूनी)
- संस्था का कोई सदस्य या लोगों का समुह जो बाल विवाह को बढ़ावा देता हो, या उसकी स्वीकृति देता हो या उसमें भाग लेता हो (धारा 11)
- दोनों पक्षों के माता–पिता या अभिभावक
- पुजारी
- दोनों पक्षों के रिश्तेदार / मित्र
- दोनों पक्षों के पड़ोसी जिन्होने बाल विवाह में भाग लिया हो या योगदान दिया हो।
- वैसे जनप्रतिनिधि जो इस प्रकार के विवाह को संरक्षण देते हैं।
- विवाह तय करने वाले व्यक्ति या मैरेज ब्यूरो।
- तस्कर
- खाना बनाने वाले या अन्य सेवा प्रदान करने वाले।

26. बाल विवाह को रोकने के लिए कौन-कौन से सरकारी योजनाएँ चलाई जा रही है ?

लड़कियों को कुशल तथा जिम्मेवार नागरिक की तरह विकास का अवसर देने हेतु तथा बाल विवाह को रोकने के लिए कुछ योजनाओं का क्रियान्वयन किया जा रहा है। सामुहिक विवाह अनुदान, बाल विवाह तथा दहेज प्रथा की रोकथाम के उद्देश्य से चलाई जा रही एक ऐसी योजना है जिसमें राज्य सरकार द्वारा सामूहिक विवाह के बाद विवाहित दम्पति के साथ–साथ आयोजकों को अनुदान (दुल्हन को सावधि जमा के रूप में) की राशि दी जाती है।

सहयोग योजना के तहत् गरीबी रेखा से नीचे के परिवारों को उनकी बेटी (अधिकतम दो लड़कियाँ) की शादी के लिए 1,00,000 / – रूपये 18 वर्ष की आयु के बाद शादी करने के समय दी जाती है साथ ही साथ बेटियों के 10वीं तथा स्नातक पास करने पर क्रमशः 5000 / – रूपये तथा 10,000 रूपये की अतिरिक्त राशि भी दी जाती है। इसी प्रकार, 10,000 / रूपये की राशि अनुदान के रूप में आर्थिक रूप से कमजोर विधवाओं को उनकी बेटियों की शादी के लिए दी जाती है। अन्तर्जातीय विवाह को बढ़ावा देने के लिए विवाहित जोड़े को अनुदान प्रदान करने की भी योजना है (31 मार्च 2013 से पहले, 50,000 / – रूपये तथा 31 मार्च 2013 के बाद 5,00,000 / – रूपये)।

पालनहार, आपकी बेटी, बालिका सम्बल योजना, ज्योति योजना, किशोरी शक्ति योजना, देव नारायन योजना, सबला, विभिन्न छात्रवृति योजना, बालिकाओं के लिए आवासीय विद्यालय इत्यादि कुछ ऐसी योजनाएँ है जिसका लक्ष्य सामाजिक तथा आर्थिक रूप से पिछड़े परिवारों को उनके बच्चों को, विशेषकर लड़कियों को, बेहतर

स्वास्थ्य, पोषण तथा शिक्षा सुविधा उपलब्ध कराने हेतु सामाजिक सहायता तथा अवसर प्रदान करना है। इस प्रकार की योजनाओं से बाल विवाह को रोकने में सहायता मिलती है। योजनाओं में निरन्तर बदलाव किये जा रहे हैं अतः नई योजनाओं/संशोधित योजनाओं की जानकारी के लिए जिला से सम्पर्क किया जा सकता है।

27. क्या बाल विवाह रोकथाम अधिनियम का उल्लंघन दण्डनीय तथा गैर-जमानती अपराध है ?

हाँ, बाल विवाह निषेध अधिनियम 2006 के अनुसार इस अधिनियम का उल्लंघन एक दण्डनीय तथा गैर जमानती अपराध है।

28. बाल विवाह से संबंधित कानूनों के उल्लंघन के मामलों में दण्ड का क्या प्रावधान है ?

कोई भी 18 वर्ष से अधिक आयु का पुरूष यदि किसी 18 वर्ष से कम आयु की लड़की से विवाह करता है तो उसे 2 वर्षों तक कठोर कारावास या 1 लाख रूपये जुर्माना या दोनों दण्ड दिया जा सकता है। वैसे सभी व्यक्ति जो बाल विवाह में लिप्त होते हैं उन्हें 2 वर्षों के कठोर कारावास तथा 1 लाख रूपये का जुर्माना का दण्ड दिया जा सकता है। बच्चे का बाल विवाह होने की स्थिति में बच्चे की देखभाल करने वाले कोई भी व्यक्ति, चाहे उसके माता–पिता/अभिभावक या कोई अन्य व्यक्ति, किसी संस्था का सदस्य या समुह जो बाल विवाह को प्रोत्साहित करता हो या उसके आयोजन की अनुमति देता हो उसे भी 2 वर्षों के कठोर कारावास तथा 1 लाख रूपये का जुर्माना का दण्ड दिया जा सकता है।

बाल विवाह पर पुलिस स्तर पर सवाल-जवाब

1. बाल विवाह से क्या तात्पर्य है ?

बाल विवाह रोकथाम अधिनियम, 2006 की धारा 2 (a) के तहत्, बाल विवाह एक प्रकार का विवाह है जिसमें किसी एक तरफ से विवाह करने वाला व्यक्ति बच्चा है।

2. बाल विवाह अधिनियम में बच्चा किसे कहा गया हैं ?

बाल विवाह रोकथाम अधिनियम, 2006 की धारा 2 (a) के तहत 18 वर्ष से कम आयु की लड़की तथा 21 वर्ष से कम आयु के लड़के को बच्चे के रूप में परिभाषित किया गया है। इसका अर्थ है कि लड़कियों के लिए विवाह की न्यूनतम आयु 18 वर्ष तथा लड़के के लिए 21 वर्ष है। यहाँ यह उल्लेख करना प्रासंगिक होगा कि बाल विवाह निशेध अधिनियम, 2006 में केवल विवाह की कानूनी आयु तय की गई है। इसमें किसी भी प्रकार से बच्चे के आयु वर्ग को परिभाषित नहीं किया गया है।

3. बच्चा किसे कहते हैं ?

संयुक्त राष्ट्र बाल अधिकार समझौता–1989 में कहा गया है कि बच्चे का अर्थ हर उस मनुष्य से है जिसने अब तक 18 वर्ष की आयु पूर्ण नहीं की है, जब तक की बाल्यावस्था की आयु सीमा निर्धारण हेतु कोई नया कानून लागू न हो। यद्यपि भारतीय बहुमत अधिनियम के अन्तर्गत बहुमत द्वारा निर्णय कर बाल्यावस्था की आयु 18 वर्ष तय की गई है। अतः 18 वर्ष के कम आयु के व्यक्ति को बच्चा कहा जाता है। बच्चों की आयु आधारित परिभाषा की पुष्टि किशोर न्याय (देखभाल तथा संरक्षण) अधिनियम 2015 के अन्तर्गत की गई है जिसमें कहा गया है कि किशोर या बच्चा वह है जिसने 18 वर्ष की आयु पूर्ण नहीं किया है।

4. बाल विवाह के क्या कारण हैं ?

शिक्षा एवं जागरूकता की कमी का परिणाम बाल विवाह है। समाज में बाल विवाह आयोजन की पुरानी पारम्परिक प्रक्रिया, कानून का खराब क्रियान्वयन तथा प्रशासन के ओर से इच्छाशक्ति तथा कार्यों की कमी के साथ–साथ पूरे देश में बाल विवाह की निरन्तरता का मुख्य कारण है। कुछ महत्वपूर्ण कारण निम्नलिखत हैः–

- लड़कियों को पराया धन समझना, तथा माता–पिता द्वारा लड़कियों की शिक्षा तथा विकास के प्रति उदासिनता का रवैया अपनाकर उसका विवाह जल्दी कर देना।
- सामान्यतः लड़कियों को परिवार में बोझ समझा जाता है तथा परम्परागत तौर पर समुदाय का यह रवैया होता है कि लड़कियों की शादी जल्द से जल्द करा दी जाए।
- लड़कियों के प्रति यौन हिंसा की आशंका से बचाव तथा माता–पिता एवं समाज द्वारा लड़कियों को सुरक्षा उपलब्ध कराने में असमर्थ होना भी बाल विवाह के लिए कारण बताया जाता है। समुदाय में ऐसा विश्वास है कि जल्दी विवाह करने से लड़कियों की शुद्धता तथा इज्जत सुरक्षित रहता है।
- माता–पिता द्वारा यह पक्ष रखा जाता है कि कम उम्र में लड़कियों की शादी करने

से दहेज कम देना पड़ेगा।

- कम आयु की दूल्हन की मांग भी परिवारों को लड़कियों के कम उम्र में विवाह हेतु प्रेरित करती है ताकि अधिक उम्र होने पर अधिक दहेज देने से बचा जा सके।
- माता–पिता यह समझते हैं कि लड़कियों का विवाह जल्दी करने से उसका भविष्य सुरक्षित रहता है।
- अन्य सांस्कृतिक प्रथाएँ, जैसे, सगे–संबंधियों के बीच विवाह, शुभ या विशेष प्रयोजनों में विवाह भी बाल विवाह को राज्य में बढ़ावा देती है।

5. बाल विवाह पर विशेष रूप से तैयार किये गये प्रमुख कानून क्या है ?

दिनांक 01 नवम्बर 2007 को लागू किया गया बाल विवाह निषेध अधिनियम, 2006 देश में बाल विवाह से संबंधित मामलों के लिए तैयार किया गया प्रमुख कानून है।

6. बाल विवाह आयोजन रोकने के लिए क्या कदम उठाये जा सकते हैं ?

- बाल विवाह निषेध पदाधिकरी या किसी व्यक्ति/गैर सरकारी संस्था के पास बाल विवाह आयोजन की जानकारी उपलब्ध हो तो वह उस सूचना के आधार पर मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट/प्रथम श्रेणी न्यायिक दण्डाधिकारी के समक्ष शिकायत दर्ज करा सकता है। विश्वसनीय सूचनाओं के आधार पर न्यायालय भी स्वतः संज्ञान ले सकता है।
- बाल विवाह निषेध अधिनियम, 2006 की धारा 13 के तहत् न्यायालय बाल विवाह उस बाल विवाह के आयोजन पर रोक लगा सकता है। किसी व्यक्ति के विरूद्ध आदेश निर्गत होने के बाद भी वह बाल विवाह का आयोजन करता है तो उसे 2 वर्ष तक का कारावास या 1 लाख रूपये आर्थिक दण्ड या दोनों दिया जा सकता है। यहाँ यह सूचित करना आवश्यक है कि इस मामले में किसी भी महिला को कारावास की सजा नहीं दी जा सकती है। आदेश की अवहेलना कर किया गया बाल विवाह अमान्य होगी।
- बाल विवाह रोकने के लिए जिला मजिस्ट्रेट कोई भी कदम उठा सकता है।
- बाल विवाह की सूचना पुलिस थाने में भी दी जा सकती है।

7. अगर बाल विवाह हो गया तो उसे प्रतिसिद्ध कैसे किया जा सकता है ?

अगर बाल विवाह हो गया है तो उसको प्रतिसिद्ध नहीं किया जा सकता। ऐसे बाल विवाह को कोर्ट मे अर्जी देकर शुन्यीकरण किया जा सकता है।

8. यदि कोई व्यस्क व्यक्ति किसी नाबालिग बालिका से विवाह करता है तो क्या होगा ?

कोई भी 18 वर्ष से अधिक आयु का पुरूष यदि किसी नाबालिग लड़की से विवाह करता है तो उसे 2 वर्षों तक कठोर कारावास या 1 लाख रूपये जुर्माना या दोनों दण्ड दिया जा सकता है।

9. क्या बाल विवाह करने पर किशोर न्याय अधिनियम के अन्तर्गत भी सजा दी जा सकती है ?

हाँ अगर कथित परिस्थिति मे बालक का विक्रय औार उपापत्र किया जाता है और

किसी रुप मे उसका विवाह कराया जाता है तो किशोर न्याय अधिनियम की धारा 81 अन्तर्गत उसकों पांच वर्ष तक की सजा और 1 लाख रुपये के जुर्माने से दण्डनीय होगा।

10. बाल विवाह करने से नुकसान क्या है ?

बाल विवाह कर देने के पश्चातः बच्चों को अपने जीवन मे निम्न समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है–

- बाल विवाह से अच्छा स्वास्थ्य, पोषण व शिक्षा पाने और हिसां, उत्पीड़न व शोषण से बचाव के मूलभूत अधिकारों का हनन होता है।
- बाल विवाहित बच्चों की शिक्षा छूट जाती है।
- बाल विवाहित बच्चों को उम्र व क्षमता से पहले अनेक जिम्मेदारियाँ मिल जाती है जिनको निभाने के दौरान बच्चे मानसिक अवसाद के शिकार हो जाते है या आत्महत्या कर लेते है।
- बच्चों के खेलने, घुमने, कपड़े पहनने इत्यादी पर अनेक पाबन्दियाँ लग जाती है।
- जिम्मेदारियों को निभाने के लिऐ बाल श्रम करना पड़ता है।
- लड़कियाँ बाल विवाह के कारण जल्द ही ससुराल जाने लग जाती है जहाँ उनके साथ जबरदस्ती यौन सम्बन्ध बनाये जाते है, जिसके लिए वो तैयार नहीं होती है और समझ नहीं पाती की उनके साथ जो हो रहा है वो सही है या गलत और वो मानसिक अवसाद से ग्रस्त हो जाती है। जिसके कारण जीवन पर्यन्त निर्णय लेने व परिवार के संचालन का नेतृत्व नहीं कर पाती है।
- बाल विवाह का मतलब होता है जल्दी माँ बनना। इसके कारण कम उम्र की माँ व उसके बच्चें दोनों की सेहत खतरे मे पड़ जाती है।
- बाल विवाह का एक नतीजा यह भी होता है कि लड़कियों को बार–बार गर्भधारण और गर्भपात करवाना पड़ता है। इससे न केवल नवजात शिशुओं का वजन कम रह जाता है बल्कि उनके सामने कुपोषण व खून की कमी की भी ज्यादा आंशका रहती है। ऐसे प्रसवों मे शिशु मृत्यु दर व प्रसूता मृत्यु दर ज्यादा पायी गई है इतना ही नहीं कम उम्र मे यौन गतिविधियों से प्रजनन नली मे संक्रमण और एचआईवी/एड्स सहित यौन संक्रामक बीमारीयों की चपेट मे आने का खतरा भी काफी बढ़ जाता है।
- जच्चा व बच्चा दोनों का स्वास्थ्य कमजोर रहता है।
- बाल विवाह के पश्चात परिवार मे आपसी अनबन या लड़के–लड़की के विचार नहीं मिलने से पारिवारिक तनाव का माहौल बना रहता है व सम्बन्ध विच्छेद हो जाते है या गृह क्लेश बना रहता है।
- परिवार को चलाने की मजबूरी में लड़का अच्छा व्यवसाय नहीं कर पाता है वो जो भी रोजगार मिलता है करना पड़ता है जिससे परिवार की आर्थिक स्थिति कमजोर रहती है और छोटी–छोटी जरुरतों के लिए कर्जा लेना पड़ता है और ब्याज व कर्ज से कभी मुक्त नहीं हो पाता व अच्छा जीवन नहीं जी पाता है।
- बाल विवाह मे बच्चों की स्वीकृति या आपसी तालमेल बिठाये बगैर घरवाले अपनी जिम्मेदारी से मुक्त होने के चक्कर मे बेमेल जोड़े बना देते है जो जीवन–पर्यन्त दुःख व आपसी विवाद एवं घरेलु हिंसा का कारण बनते है।

- कई माँ–बाप मानते है कि अगर लड़कियों का विवाह जल्द कर दिया जाये तो उन्हें हिसां से बचाया जा सकता है। ऐसे माँ–बाप यह नहीं समझते कि बाल विवाह तो वास्तव मे घरेलू हिसां और उत्पीड़न के लंबे सिलसिले का दरवाजा खोल देता है कई बार तो बाल विवाह ही लड़कियों के व्यवसायिक यौन शोषण, बाल श्रम या खरीद–फरोख्त का कारण बनते है।

11. बाल विवाह की रोकथाम हेतु नियुक्त पदाधिकारी कौन है ?

बाल विवाह निषेध अधिनियम, 2006 अन्तर्गत बाल विवाह की रोकथाम हेतु नियुक्त पदाधिकारीः

1. बाल विवाह निषेध पदाधिकारी
2. जिला मजिस्ट्रेट
3. प्रथम श्रेणी न्यायिक दण्डाधिकारी या मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट
4. पुलिस
5. परिवार न्यायालय
6. बाल विवाह निषेध पदाधिकारी की सहायता हेतु राज्य सरकार द्वारा नामित कोई भी पदाधिकारी जैसेः समाज सेवा में कार्यरत समुदाय का कोई प्रतिष्ठित सदस्य, ग्राम पंचायत या नगर निगम का पदाधिकारी, सरकारी अथवा लोक उपक्रम का कोई पदाधिकारी, किसी गैर सरकारी संस्था का अध्यक्ष।

12. बाल विवाह से संबंधित मिथक क्या हैं ?

बाल विवाह से संबंधित कुछ लोकप्रिय विश्वास हैं जिन्हें पूर्ण शोध तथा जाँच के बाद मिथ्य साबित किया गया है। कुछ प्रमुख मिथ्य निम्नलिखित हैं :–

- बाल विवाह का प्रमुख कारण गरीबी है : ऐसा आवश्यक नहीं है। ऐसा देखा गया है कि बाल विवाह दोनों प्रकार के परिवारों (गरीब तथा अमीर) में होता है। पंजाब देश का सबसे धनी राज्य है परन्तु 18 वर्ष से कम आयु में लड़कियों के अववाह का अनुपात पिछले 7 वर्षों में नाटकीय रूप वर्ष 1998–99 में 12 प्रतिशत से बढ़कर वर्ष 2005–06 में 19 प्रतिशत तक बढ़ा है। यह पंजाब में गिरते लिंग अनुपात का मुख्य कारण हो सकता है। सूक्ष्म अध्ययन से पता चलता है कि अमीर परिवारों में कम आयु में विवाह होते हैं।
- कम आयु में विवाह करने से लड़कियाँ सुरक्षित हो जाएँगी : असल में यह विपरित कार्य करता है। कम उम्र में विवाहित लड़कियाँ शारीरिक, मानसिक तथा यौन दुर्व्यवहार तथा शोषण की शिकार अधिक होती हैं। इससे समय से पूर्व गर्भधारण का खतरा बढ़ जाता है जो बाद में अन्य बिमारियों का कारण बनता है।
- यदि लड़कों की शादी जल्दी नहीं हुई तो भविष्य में दूल्हन ढूँढने में कठिनाई होगी : यदि बाल विवाह पर पूर्ण पाबंदी होगी तथा सभी समुदाय इसे सख्ती से लागू करेंगे तो यह कोई समस्या नहीं रहेगी। इसके लिए कौन कदम बढ़ायेगा। लोगों को यह समझना चाहिये की न्यूनतम लिंग अनुपात का कारण कन्या भ्रुण हत्या है। यदि कोई व्यक्ति लिंग जाँच कराने या लड़की को गर्भ में ही मारने जा रहा है तो उसे

यह समझना चाहिये कि उसे आगे चलकर अपने बेटे के लिए लड़की कहाँ से मिलेगी।

13. बाल विवाह की घटना के लिए शिकायत कौन दर्ज करा सकता है तथा शिकायत कहाँ दर्ज करायी जा सकती है ?

किसी भी व्यक्ति के द्वारा शिकायत दर्ज की जा सकती है जिनमें :–

- ऐसा व्यक्ति जिसके पास बाल विवाह आयोजन के बारे में विश्वास करने का समुचित कारण हो;
- ऐसा व्यक्ति जिसे बाल विवाह के आयोजन की जानकारी हो;
- शिक्षक, चिकित्सक, ए.एन.एम., आँगनवाड़ी सेविका, ग्राम स्तरीय कार्यकर्ता स्वयं सहायता समुह के सदस्य, गाँव के बड़े–बुजूर्ग, पड़ोसी इत्यादि;
- बच्चे के माता–पिता या अभिभावक;
- बाल विवाह निषेध पदाधिकारी या उन्हें सहयोग करने हेतु नियुक्त व्यक्ति;
- विश्वस्त सुत्रों के आधार पर गैर सरकारी संस्था द्वारा।

चूँकि बाल विवाह का आयोजन एक संज्ञेय अपराध है अतः इस संबंध में नजदीक के पुलिस थाने में शिकायत दर्ज कराया जा सकता है। पुलिस द्वारा शिकायत को दैनिक डायरी पंजी में अंकित कर उस शिकायत के आधार पर FIR दर्ज किया जाता है। मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट / प्रथम श्रेणी न्यायिक दण्डाधिकारी के समक्ष भी शिकायत दर्ज किया जा सकता है। शिकायत मौखिक अथवा लिखित रूप में फोन, पत्र, टेलीग्राम, ई–मेल, फैक्स या साधरण हाथ से लिखकर भी दिया जा सकता है।

14. बाल विवाह रोकथाम अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत किसे दण्डित किया जा सकता है ?

- बाल विवाह का आयोजन करने वाला, प्रोत्साहित करने वाले व्यक्ति को दण्डित किया जा सकता है (धारा 10)
- 18 वर्ष से अधिक आयु का पुरूष यदि किसी बच्ची से विवाह करता हो (धारा 9)
- बच्चे की देख–रेख करने वाला व्यक्ति
- माता–पिता या अभिभावक
- कोई अन्य व्यक्ति (कानूनी या गैरकानूनी)
- संस्था का कोई सदस्य या लोगों का समुह जो बाल विवाह को बढ़ावा देता हो, या उसकी स्वीकृति देता हो या उसमें भाग लेता हो (धारा 11)
- दोनों पक्षों के माता–पिता या अभिभावक
- पुजारी
- दोनों पक्षों के रिश्तेदार / मित्र
- दोनों पक्षों के पड़ोसी जिन्होने बाल विवाह में भाग लिया हो या योगदान दिया हो।
- वैसे जनप्रतिनिधि जो इस प्रकार के विवाह को संरक्षण देते हैं।
- विवाह तय करने वाले व्यक्ति या मैरेज ब्यूरो।
- तस्कर
- खाना बनाने वाले या अन्य सेवा प्रदान करने वाले।

15. क्या बाल विवाह रोकथाम अधिनियम का उल्लंघन दण्डनीय तथा गैर-जमानती अपराध है ?

हाँ, बाल विवाह निषेध अधिनियम 2006 के अनुसार इस अधिनियम का उल्लंघन एक दण्डनीय तथा गैर जमानती अपराध है।

16. बाल विवाह से संबंधित कानूनों के उल्लंघन के मामलों में दण्ड का क्या प्रावधान है ?

कोई भी 18 वर्ष से अधिक आयु का पुरूष यदि किसी 18 वर्ष से कम आयु की लड़की से विवाह करता है तो उसे 2 वर्षों तक कठोर कारावास या 1 लाख रूपये जुर्माना या दोनों दण्ड दिया जा सकता है। वैसे सभी व्यक्ति जो बाल विवाह में लिप्त होते हैं उन्हें 2 वर्षों के कठोर कारावास तथा 1 लाख रूपये का जुर्माना का दण्ड दिया जा सकता है। बच्चे का बाल विवाह होने की स्थिति में बच्चे की देखभाल करने वाले कोई भी व्यक्ति, चाहे उसके माता–पिता/अभिभावक या कोई अन्य व्यक्ति, किसी संस्था का सदस्य या समुह जो बाल विवाह को प्रोत्साहित करता हो या उसके आयोजन की अनुमति देता हो उसे भी 2 वर्षों के कठोर कारावास तथा 1 लाख रूपये का जुर्माना का दण्ड दिया जा सकता है।

17. संज्ञेय अपराध का क्या मतलब होता है ?

आम तौर पर संज्ञेय अपराध का मतलब है कि पुलिस अधिकारी ऐसे अपराध करने वाले व्यक्ति को बिना वारंट के गिरप्तार कर सकती है और जांच शुरु कर सकती है इसके लिए पुलिस को कोर्ट से अनुमति लेने की जरुरत नहीं है। ऐसे संज्ञेय अपराध में पुलिस अपने स्तर पर एफ.आई.आर. दर्ज कर सकती है। आमतौर पर तीन वर्ष या उससे ज्यादा की सजा को गंभीर अपराध माना जाता है और वह संज्ञेय अपराध की श्रेणी मे आता है।

18. अगर पुलिस को सूचना मिलती है कि बाल विवाह कराया जा रहा है, तो पुलिस क्या कर सकती है ?

अगर पुलिस को सूचना मिलती है कि बाल विवाह करवाया जा रहा है तो पुलिस स्व–विवेक से निर्णय लेकर बाल विवाह रोक सकती है और परिवार को पांबद कर सकती है। पुलिस को इस बात का ध्यान रखना होगा कि ऐसे भीड़–भाड़ वाले स्थान पर कार्यवाही करते समय माहौल ना बिगड़े और अगर स्थिति नियत्रंण मे नहीं आती है तो शांन्ति भंग के आरोप मे धारा 151 आई.पी.सी. के अन्तर्गत गिरप्तार कर सकती है। इसके अलावा अगर पुलिस के पास पर्याप्त समय हो तो पुलिस कोर्ट से ऐसे विवाह को प्रतिषेध करने का आदेश ले सकती है और बाल विवाह का अनुष्ठान रोका जा सकता है। पाबंद करने के बाद भी अगर परिवार विवाह करता है तो ऐसा परिवार को 1 लाख का जुर्माना या 2 वर्ष का कारावास या दोनो से दण्डनीय होगा। ऐसा विवाह अकृत एवं शुन्य माना जायेगा।

19. अगर पुलिस को सूचना मिलती है कि बाल विवाह कराया जायेगा, तो पुलिस क्या कर सकती है ?

अगर पुलिस को सूचना मिलती है कि बाल विवाह कराया जायेगा तो पुलिस भारतीय दंड संहिता की धारा 151 के अर्न्तगत बाल विवाह कराने वाले परिवार को गिरप्तार कर सकती है। चुंकि बाल विवाह संज्ञेय अपराध है तो यह तर्क रहता है कि अगर पुलिस मौके पर गिरप्तार नही कर सकती तो परिवार द्वारा या परिजनों द्वारा संज्ञेय अपराध कर दिया जाता। संज्ञेय अपराध न हो सके इसकी रोकथाम हेतु पुलिस धारा 151 मे निरुद्ध कर कोर्ट मे प्रस्तुत करेगी।

20. अगर पुलिस को सूचना मिलती है कि बाल विवाह हो गया है, तो पुलिस क्या कर सकती है ?

अगर पुलिस को सूचना मिलती है कि बाल विवाह हो गया है तो पलिस कोर्ट मे अर्जी फाइल कर सकती है और ऐसे विवाह का विकल्प या शुन्यीकरण होगा। परन्तु ध्यान रखना होगा कि अर्जी फाइल करते समय ऐसे पक्षकार जो विवाह के समय बालक था अर्जी फाइल करने पूर्व व्यस्कता प्राप्त करने के पश्चात 2 वर्ष पूरे कर लिए हो।

21. बाल विवाह को रोकने के लिए कौन-कौन से सरकारी योजनाएँ चलाई जा रही है ?

लड़कियों को कुशल तथा जिम्मेवार नागरिक की तरह विकास का अवसर देने हेतु तथा बाल विवाह को राकने के लिए कुछ योजनाओं का क्रियान्वयन किया जा रहा है। सामुहिक विवाह अनुदान, बाल विवाह तथा दहेज प्रथा की रोकथाम के उद्देश्य से चलाई जा रही एक ऐसी योजना है जिसमें राज्य सरकार द्वारा सामुहिक विवाह के बाद विवाहित दम्पति के साथ–साथ आयोजकों को अनुदान (दूल्हन को सावधि जमा के रूप में) की राशि दी जाती है।

सहयोग योजना के तहत् गरीबी रेखा से नीचे के परिवारों को उनकी बेटी (अधिकतम दो लड़कियाँ) की शादी के लिए ₹ 1,00,000/– 18 वर्ष की आयु के बाद शादी करने के समय दी जाती है साथ ही साथ बेटियों के 10वीं तथा स्नातक पास करने पर क्रमशः ₹ 5000/– तथा ₹ 10,000 की अतिरिक्त राशि भी दी जाती है। इसी प्रकार, ₹10,000/ की राशि अनुदान के रूप में आर्थिक रूप से कमजोर विधवाओं को उनकी बेटियों की शादी के लिए दी जाती है। अन्तर्जातीय विवाह को बढ़ावा देने के लिए विवाहित जोड़े को अनुदान प्रदान करने की भी योजना है (31 मार्च 2013 से पहले, ₹50,000/– तथा 31 मार्च 2013 के बाद ₹ 5,00,000/–)।

पालनहार, आपकी बेटी, बालिका सम्बल योजना, ज्योति योजना, किशोरी शक्ति योजना, देव नारायन योजना, सबला, विभिन्न छात्रवृति योजना, बालिकाओं के लिए आवासीय विद्यालय इत्यादि कुछ ऐसी योजनाएँ है जिसका लक्ष्य सामाजिक तथा आर्थिक रूप से पिछड़े परिवारों को उनके बच्चों को, विशेषकर लड़कियों को, बेहतर स्वास्थ्य, पोषण तथा शिक्षा सुविधा उपलब्ध कराने हेतु सामाजिक सहायता तथा अवसर प्रदान करना है। इस प्रकार की योजनाओं से बाल विवाह को रोकने में सहायता मिलती है। योजनाओं में निरन्तर बदलाव किये जा रहे हैं अतः नई योजनाओं/संशोधित योजनाओं की जानकारी के लिए जिला से सम्पर्क किया जा सकता है।

unicef
unite for children

Child Resource Centre,
Harish Chandra Mathur Rajasthan State Institute of Public Administration,
Government of Rajasthan, Jawahar Lal Nehru Marg,
Jaipur (Raj) 302017
Website: www.hcmripa.gov.in
Mail: hcmripa@rajasthan.gov.in
Fax: 0141-2705420, 2702932
Phone: 0141-2706556, 2706268